न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 03/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डवा		1भंवरलाल दाधीच पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी सेन मंदिर के पीछे, मदेरणा कॉलोनी, कृषि उपज मंडी, मंडोर रोड, जोधपुर। 2जुगलकिशोर दाधीच पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी धडा का बास, महामंदिर जोधपुर। 3घनश्याम दाधीच पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी सेन मंदिर के पीछे, मदेरणा कॉलोनी, कृषि उपज मंडी, मंडोर रोड, जोधपुर। 4रघुवीर प्रसाद दाधीच पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी शिशु निकेतन स्कूल, मदेरणा कॉलोनी, कृषि उपज मंडी, मंडोर रोड, जोधपुर। 5कैलाश दाधीच पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी शिशु निकेतन स्कूल, मदेरणा कॉलोनी, कृषि उपज मंडी, मंडोर रोड, जोधपुर। 6प्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम/पोस्ट भदोरा वाया खजवाना तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 7रामप्यारी पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम/पोस्ट भदोरा वाया खजवाना तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 8ललित दाधीच पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम/पोस्ट भदोरा वाया खजवाना तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 9निर्मला पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम/पोस्ट भदोरा वाया खजवाना तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 10प्रियंका पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम/पोस्ट भदोरा वाया खजवाना तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 11मानिका पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम/पोस्ट भदोरा वाया खजवाना तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 12सुलोचना पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम/पोस्ट भदोरा वाया खजवाना तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति–

1– श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2– श्री विक्रम जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 12 की ओर से।

आदेश

दिनांक 24.03.21

(1)– तहसीलदार मुण्डवा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर मौजा भदौरा के खसरा नं. 627 रकबा 14.10 बीघा भूमि जो भू प्रबन्ध संवत 2020 के दौरान हाल खसरा नं. 627 रकबा 19.10 बीघा बालमुकन्द वल्द चगनीराम के नाम दर्ज कर दिया जिसे पुनः मंदिर श्री जोगमाया विराजमान सा. भदोरा सा. देह के नाम किये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी का रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी ने अपने रेफरेन्स के समर्थन मे खतोनी ग्राम भदौरा संवत 2006 की फोटोप्रति, मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग ग्राम भदौरा की प्रति, नकल खतौनी संवत 2020–2039 भू प्रबन्ध विभाग ग्राम भदौरा, नकल खतौनी संवत 2013–2016, 2018–2021, 2024–2027, 2028–2031, 2036–2039, 2060–2063, 2076,

अपर कलक्टर, नागौर

नामान्तरकरण सं. 30, 776, 783, 849 तथा 1285 ग्राम भदौरा की प्रतिया प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 10.03.2021 को श्री विक्रम जोशी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अपने जवाब दिनांक 17.03.21 को अपना जवाब प्रस्तुत कर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त भूमि मंदिर श्री जोगमाया विराजमान सा. भदोरा सा. देह के नाम दर्ज होने मे उन्हे कोई आपति नही होना बताया है।

(2)— उभयपक्ष को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस शुरू करते हुए रेफरेन्स के तथ्यो को दोहराया तथा बताया गया कि —

(2)(1)— नकल खतोनी बन्दोबस्त ग्राम भदोरा संवत 2006 मे खसरा नं. 627 रकबा 14.10 बीघा डोली बनाम मंदिर श्री जोगमाया पुजारी बालमुकन्द कौम बीरामण सा.देह दर्ज है तथा कृषक के कॉलम मे खुदकाश्त दर्ज है।

(2)(2)— कालान्तर मे खतौनी जमाबंदी बनाते समय उक्त भूमि बिना किसी आदेश व सक्षम अधिकारी के निर्णय के बिना ही माफी मंदिर का नाम विलोपित करते हुए संवत 2018 व संवत 2020 भू—प्रबन्ध के दौरान हाल खसरा नं. 627 रकबा 19.10 बीघा मे बालमुकन्द वल्द चगनीराम कौम ब्राह्मण सा.देह दर्ज कर दिया था। इसके पश्चात नामान्तरकरण सं. 30, 776, 783, 849 से भूमि अंतरित होकर वर्तमान जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) स्थायी से हाल खसरा नं. 627 भूमि कैलाश पुत्र रघुवीर 1/7, घनश्याम पुत्र मांगीलाल 1/7, जुगलकिशोर पुत्र मांगीलाल 1/7, निरमला पुत्री कन्हैयालाल 1/42, प्रकाश पुत्र मांगीलाल 1/7, प्रियंका पुत्री कन्हैयालाल 1/42, भंवरलाल पुत्र मांगीलाल 1/7, मोनिका पुत्री कन्हैयालाल 1/42, रघुवीर पुत्र मांगीलाल 1/7, रामप्यारी पत्नी कन्हैयालाल 1/42, ललित दाधीच पुत्र कन्हैयालाल 1/42, सुलोचना पुत्री कन्हैयालाल 1/42 सभी ब्राह्मण निवासी भदोरा के खातेदारी मे दर्ज है। चूंकि मंदिर मूर्ति अव्यस्क है और अव्यस्क के अधिकार किसी को भी हस्तांतरित नही हो सकते है, ऐसी स्थिति मे उक्त भूमिगत खसरा नं. 627 रकबा 19.10 बीघा भूमि की खातेदारी हटाई जाकर वापस मंदिर श्री जोगमाया विराजमान सा. भदोरा सा. देह के नाम किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया।

(2)(3)— मंदिर मूर्ति की जमीन का हस्तान्तरण भी प्रारंभ से ही शून्य (void ab initio) है, जिसे तथाकथित खातेदार फौत होने पर नामान्तरकरण सं. 30, 776, 783, 849 से हस्तान्तरित को किसी भी प्रकार के वैध अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः उपरोक्त हस्तान्तरण अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

(2)(4)— माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्णयों, देवस्थान विभाग एवं राज्य सरकार के परिपत्रों में स्पष्ट निर्देश है कि यदि मंदिर मूर्ति की खातेदारी की भूमि अन्य व्यक्ति के पक्ष में दर्ज रिकार्ड की गयी है तो वह प्रभाव शून्य है। अतः उक्त भूमि को पुनः मंदिर मूर्ति के पक्ष में खातेदारी दर्ज की जानी चाहिये।

(3)— अप्रार्थीगण ने अपने जवाब दिनांक 24.03.2021 मे बताया कि प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डवा के द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमे खसरा नं. 627 रकबा क्रमशः 19.10 बीघा डोली बनाम मंदिर श्री जोगमाया विराजमान सा. भदोरा सा. देह बअेतमाम बालमुकन्द वल्द छगनीराम कौम बीरामण सा.देह दर्ज होने के तथ्य स्वीकार है। उपरोक्त भूमि

अपर कलक्टर, नागौर

मंदिर की भूमि रही है और यह भूमि वर्तमान मे अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज होने के तथ्यो से भी विरोध नही है, किन्तु यह गलत रूप से दर्ज हुई है। यदि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार करके उपरोक्त भूमि मंदिर श्री जोगमाया विराजमान सा. भदोरा सा. देह के नाम दर्ज होती है तो हम अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है।

(4)– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम भदौरा संवत 2006 के अनुसार खसरा नं. 627 भूमि डोली बनाम मंदिर श्री जोगमाया विराजमान सा. भदोरा सा. देह बअेतमाम बालमुकन्द वल्द छगनीराम कौम बीरामण सा.देह पुजारी के नाम खुदकाश्त दर्ज रही है। जो खतौनी संवत 2013–16 मे डोली बनाम मंदिर श्री जोगमाया विराजमान सा. भदोरा सा. देह खुदकाश्त की दर्ज है। जिसे जमाबंदी संवत 2018–21 मे भू प्रबन्ध के दौरान पुजारी बालमुकन्द के नाम से बिना किसी सक्षम आदेश के खातेदारी मे दर्ज कर दिया। कालान्तर मे पुजारी बालमुकन्द के फौत होने पर नामान्तरकरण सं. 30 स्वीकृति दिनांक 30.01.70 के द्वारा उसके पुत्र मांगीलाल के नाम से दर्ज हुई, मांगीलाल पुत्र बालमुकन्द के फौत होने पर नामान्तरकरण सं. 776 स्वीकृति दिनांक 05.12.12 के द्वारा भंवरलाल, जुगलकिशोर, कन्हैयालाल, नारायणराम, घनश्याम, रघुवीर, प्रकाश पुत्रगण मांगीलाल, मैथी पत्नी मांगीलाल, सुप्यारी, सरला पुत्रियां मांगीलाल कौम ब्राह्मण के नाम दर्ज हुई, नामान्तरकरण सं. 783 स्वीकृति दिनांक 10.01.13 तर्कनामा के आधार पर मांगीलाल की पत्नी मैथी तथा पुत्रियां सुप्यारी व सरला के द्वारा की जाने पर मांगीलाल के पुत्रगण भंवरलाल, जुगलकिशोर, कन्हैयालाल, नारायणराम, घनश्याम, रघुवीर, प्रकाश के नाम दर्ज हुई तथा नारायणराम के द्वारा अपने हिस्से की भूमि कैलाश दाधीच को बेचने से बेचान नामान्तरकरण 849 दिनांक 05.06.2014 स्वीकृत हुआ, तथा नामान्तरकरण सं. 1285 स्वीकृति दिनांक 22.10.2020 के द्वारा कन्हैयालाल के फौत होने से निरमला पुत्री कन्हैयालाल, प्रियंका पुत्री कन्हैयालाल, मोनिका पुत्री कन्हैयालाल, रामप्यारी पत्नी कन्हैयालाल, ललित दाधीच पुत्र कन्हैयालाल तथा सुलोचना पुत्री कन्हैयालाल के नाम दर्ज हुई। जो कि मौजूदा रेकर्ड मे अप्रार्थी सं. 1 से 12 के नाम चली आ रही है। जब कि भगवान की मूर्ति शाश्वत अव्यस्क है। जिसके खातेदारी अधिकार किसी अन्य को कानूनी रूप से प्रदान नही किये जा सकते है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को तथाकथित खातेदार अथवा हस्तान्तरित को किसी भी प्रकार के वैध अधिकार नहीं होने से ग्राम भदौरा के नामान्तरकरण सं. 30, 776, 783, 849, 1285 खारिज किये जाकर भूमि पुनः डोली बनाम मंदिर श्री जोगमाया विराजमान सा. भदोरा सा. देह के नाम दर्ज की जानी चाहिये।

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मौजा भदौरा के खसरा नं. 627 रकबा 19.10 बीघा भूमि डोली बनाम मंदिर श्री जोगमाया विराजमान सा. भदोरा वाके देह बअेतमाम बालमुकन्द वल्द छगनीराम कौम बीरामण साकिन देह पुजारी के नाम जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम भदौरा के संवत 2006 से 2018 में दर्ज रही है। जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है। जो उक्त जमाबंदियों से सुस्पष्ट है। मंदिर मूर्ति की जमीन में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः मंदिर मूर्ति की भूमि में खातेदारी अधिकार दिये गये है। जो विधिक दृष्टि से शून्य व प्रभावहीन है।

अपर कलक्टर, नागौर

(5)– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा भदोरा संवत 2006 मे खसरा नं. 627 रकबा 19.10 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 1 से 12 के नाम खातेदारी/नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर उक्त भूमि के संबंध में जमाबंदी (खतौनी) संवत 2018–21 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को निरस्त करते हुए मौजा भदौरा के खसरा नं. 627 रकबा 19.10 बीघा भूमि पूर्ववत डोली बनाम मंदिर श्री जोगमाया विराजमान सा. भदोरा वाके देह के नाम दर्ज करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर मे सुनवाई हेतु दिनांक 15.04.2021 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है।

(6)– आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)

अपर कलक्टर, नागौर